नरेन्द्र कुमार सिंह भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, अररिया के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के साथ दिनांक 26.12.2014 को पलासी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत चहटपुर का निरीक्षण की टिप्पणी ।

अधोहस्ताक्षरी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पलासी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत चहटपुर का निरीक्षण हेतु दिनांक 26.12.2014 को प्रखण्ड कार्यालय, पलासी पहुँचने पर पाया गया कि वर्तमान पंचायत सचिव श्री श्याम नारायण ठाकुर के द्वारा निरीक्षण की कोई तैयारी नहीं की गयी थी और न ही निरीक्षण हेतु संलेख उपलब्ध कराया गया। पंचायत का रोकड़ पंजी भी अद्यतन नहीं पाया गया। पंचायत सचिव के द्वारा उपलब्ध कराये गए निम्न अभिलेखों/पंजियों की जॉच की गयी एवं योजनाओं का भौतिक निरीक्षण किया गया ।

1. 13 वीं वित्त :-

1(1) योजना संख्या 01/2011-12 पंचायत भवन निर्माण कार्य :- पंचायत सचिव के द्वारा बताया गया कि योजना का अभिलेख प्रभार में नहीं प्राप्त हुआ है। योजना पंजी के अनुसार इस योजना के अभिकर्त्ता-सह-तत्कालिन पंचायत सचिव, श्री जय राम शर्मा (वर्तमान सेवानिवृत्त) है। योजना पंजी एवं चेक बुक के अनुसार योजना के राशि की निकासी कर ली गयी है, । योजना पंजी एवं बैंक पासबुक के अनुसार निर्गत चेक की राशि की विवरणी :-

तिथि	चेक संख्या	राशि	पसबुक के अनुसार राशि निकासी की तिथि
29.09.2011	827026	7500.00	29.09.2011
01.10.2011	827027	50000.00	02.10.2011
04.10.2011	827030	49500.00	13.10.2011
11.10.2011	827031	49500.00	17.10.2011
15.10.2011	827032	49500.00	17.10.2011
27.10.2011	827033	49500.00	05.11.2011
04.11.2011	827034	49500.00	05.11.2011
09.11.2011	827035	49500.00	11.11.2011
कुल योग		354500.00	

भौतिक जॉच के कम में बताया गया कि कार्य अबतक प्रारंभ नही किया गया है ।

1(2) योजना संख्या 01/2012-13 पंचायत आई0टी0सी0 भवन का निर्माण -- प्राक्कलित राशि 496200.00 रूपये । योजना के अभिकर्त्ता श्री ईमेन सोरेन तत्कालिन पंचायत सचिव (वर्तमान में निलंबित) ग्राम पंचायत राज चहटपुर । अभिलेख में मापी पुस्त संलग्न नहीं पाया गया ।

योजना पंजी एवं अभिलेख के अनुसार निर्गत चेक से राशि निकासी की विवरणी--

तिथि	चेक संख्या	राशि	बैंक पासबुक के अनुसार राशि निकासी की तिथि
21.08.2012	827036	7500.00	29.08.2012
28.08.2012	827040	49000.00	29.08.2012
28.08.2012	827041	49000.00	29.08.2012
28.08.2012	827042	300000.00	29.08.2012
कुल अग्रिम		**405500.00**	

कुल निर्गत अग्रिम की राशि 405500.00 रूपये । सुपर संरचना तक कार्य किया हुआ पाया गया। देखने से प्रतीत हुआ कि कार्य काफी दिनों से बंद है। वर्तमान मुखिया श्रीमति शमशा खातुन के दरवाजे के दक्षिणी भाग में निर्माण कार्य किया जा रहा है। पूछने पर मुखिया के पति मो0 साएब ने बताया कि योजना का निर्माण विद्यालय की भूमि पर किया जा रहा है जो पूर्व में उनके द्वारा ही विद्यालय को दिया गया है । अभिलेख में यह योजना के कार्य स्थल का विवरण यथा (मौजा, खाता, खसरा एवं रकवा) अंकित नहीं है। योजना का प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त नहीं किया गया है। अभिलेख के साथ संलग्न प्राक्कलन में कनीय अभियंता एवं सहायक/कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

चेक पासबुक का अवलोकन किया गया। पासबुक में चेक संख्या 827042 के द्वारा मात्र 30000.00 रूपये निकासी अंकित है, परंतु अभिलेख एवं योजना पंजी में उक्त चेक की राशि 300000.00 रूपये अंकित कर कुल निकासी की गयी राशि 455500.00 रूपये दर्ज किया गया है।

1(3) योजना संख्या 01/2013–14 प्राथमिक विद्यालय जोगजान भाग ततमा टोला स्कूल प्रांगण में सिलाई सेंटर भवन का निर्माण – प्राक्कलित राशि 496200.00 । योजना का अभिकर्त्ता श्रीमति निर्मला कुमारी, पंचायत शिक्षिका प्रा0वि0 चहटपुर ।

अभिलेख के अनुसार कुल अग्रिम की निकासी 472500.00 रूपये की गयी है। अभिलेख में मापी पुस्त संलग्न नहीं पाया गया। अभिलेख के आदेश फलक में आदेश क्रमांक 02 में तकनीकी स्वीकृति हेतु अभिलेख कार्यपालक अभियंता को भेजने का उल्लेख अंकित है। आदेश क्रमांक 03 में कार्यपालक अभियंता से तकनिकी स्वीकृति एवं क्रमांक 05 में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति लिए खाली जगह छोड़कर अन्य आदेश लिखा गया है जिससे प्रतीत होता है कि योजना का तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रापत नहीं किया गया है। अभिलेख में मुखिया एवं पंचायत सचिव का सिर्फ हस्ताक्षर ही है कहीं तिथि अंकित नहीं है। अभिलेख में अभिकर्त्ता के द्वारा द्वितीय अग्रिम की मांग करने संबंधी आवेदन का उल्लेख किया गया है परंतु अभिलेख के साथ आवेदन संलग्न नहीं है। अभिकर्त्ता का एकरारनामा भी संलग्न नहीं है।

योजना पंजी के अनुसार चेक निर्गत करने एवं राशि निकासी की विवरणी निम्न पाया गया :–

चेक निर्गत करने की तिथि	चेक संख्या	राशि	बैंक पासबुक के अनुसार निकासी की तिथि
01.05.2013	827048	7500.00	30.05.2013
04.05.2013	827049	250000.00	30.05.2013
07.06.2013	827050	215000.00	30.05.2013
कुल योग		472500.00	

कार्य का भौतिक स्थिति – फाउन्डेशन स्तर तक कार्य किया हुआ पाया गया । कार्य स्थल पर स्थानीय बालू रखा हुआ पाया गया । कॉलम के पीलर में 9 ईंच की दूरी पर रींग बॉधा गया है जबकि 6 ईंच की दूरी पर रिंग रहना चाहिए। दिनांक 30.05..2013 तक उपर अंकित राशि की निकासी बैंक से कर ली गयी है जबकि कार्य का प्रारंभ निरीक्षण की तिथि निर्धारित होने के पश्चात किया गया एवं कार्य गुणवत्ता पूर्ण नहीं किया जा रहा है जो सरकारी राशि के गबन एवं दुर्विनियोग का मामला बनता है।

1(4) योजना संख्या 02/2013–14 चहटपुर पंचायत में वार्ड संख्या 11 में सामुदायिक भवन निर्माण :– प्राक्कलित राशि 496200.00 । योजना के अभिकर्त्ता श्रीमति निर्मला कुमारी, पंचायत शिक्षिका चहटपुर । अभिलेख में संलग्न अभिश्रव के अनुसार कुल अग्रिम की निकासी 300000.00 रूपये की गयी है ।

किस भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाना है, भूमि का विवरण अभिलेख में अंकित नहीं है और न ही संबंधित भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधन किया गया है। अभिलेख के आदेश फलक में आदेश क्रमांक 02 में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अभिलेख प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पलासी को भेजने का उल्लेख है। आदेश क्रमांक 03 के लिए पेज खाली छोड़कर आदेश क्रमांक 04, 05 एवं 06 लिखा गया है जिससे प्रतीत होता है कि योजना के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गयी है। आदेश क्रमांक 04 में पंचायत सचिव एवं मुखिया के द्वारा हस्ताक्षर अंकित नहीं किया गया है। आदेश क्रमांक 05 एवं 06 में अभिकर्त्ता के द्वारा द्वितीय अग्रिम की मांग करने संबंधी आवेदन का उल्लेख किया गया है परंतु अभिलेख के साथ आवेदन संलग्न नहीं है। अभिलेख के साथ अभिकर्त्ता का एकरारनामा भी संलग्न नहीं किया गया है।

योजना पंजी एवं बैंक पासबुक के अनुसार राशि निकासी की विवरणी :–

चेक निर्गत करने की तिथि	चेक संख्या	राशि	बैंक पासबुक के अनुसार राशि निकासी की तिथि
अंकित नहीं	836801	7500.00	02.09.2013
	836802	292500.00	02.09.2013
कुल योग		300000.00	

अभिलेख एवं योजना पंजी में चेक निर्गत करने की तिथि अंकित नहीं है । पासबुक के अनुसार उक्त दोनों चेकों से दिनांक 02.09.2013 को राशि निकासी की गयी है परंतु निरीक्षण की तिथि तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। जो सरकारी राशि के गबन एवं दुर्विनियोग का मामला है।

1(5) योजना संख्या 03/2013–14 पुस्तकालय भवन – प्राक्कलित राशि 496200.00 रूपये। योजना पंजी में योजना दर्ज नहीं है । उपलब्ध कराया गया अभिलेख भी पूर्ण नहीं है । अभिलेख में भी निकासी की गयी राशि का विवरण अंकित नहीं है। अभिलेख के साथ संलग्न प्राक्कलन में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। मुखिया पति मो0 सोएव के द्वारा विद्यालय प्रांगण में ही एक निर्माणाधीन भवन (जिसमें सुपर स्ट्रक्चर तक कार्य किया हुआ पाया गया) को पुस्तकालय भवन बताया गया ।

बैंक पासबुक के अनुसार योजना संख्या 02/2013–14 चहटपुर पंचायत वार्ड संख्या 11 में सामुदायिक भवन निर्माण से संबंधित अभिलेख एवं योजना पंजी में दर्ज चेक संख्या 836801 एवं 836802 से राशि निकासी के बाद भी निम्न प्रकार राशि की निकासी अंकित है :–

चेक संख्या	राशि	बैंक पासबुक के अनुसार राशि निकासी की तिथि
836804	300000.00	23.10.2013
836806	30000.00	16.11.2013
836807	7500.00	28.05.2014
836808	292500.00	30.06.2014
कुल योग	630000.00	

चेक संख्या अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त राशि किस योजना में निकासी की गयी है ?

2. **1(6) निम्न चेकों से राशि निकासी की विवरणी पासबुक में दर्ज पाया गया जिसका कोई भी अभिलेख उपलब्ध उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही योजना पंजी में योजना का नाम दर्ज है।**

पासबुक में अंकित चेक संख्या	राशि निकासी की तिथि	राशि
827043	30.03.2013	200000.00
827045	30.03.2013	25000.00
827047	30.03.2013	200000.00
827046	30.03.2013	250000.00
827044	30.03.2013	300000.00
कुल राशि		975000.00

2. चतुर्थ वित्त आयोग (उच्च प्राथमिकता) :– निम्न अभिलेख उपलब्ध कराया गया ।

2(1) योजना संख्या 01/2013–14 चहटपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 11 में इसराफिल के घर के निकट से कलीम के घर होते हुए हारीफ के घर तक ईंट सोलिंग :– प्राक्कलित राशि 161000.00 अभिलेख के अनुसार कुल निर्गत अग्रिम की राशि 158000.00 । अभिकर्त्ता– निर्मला कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, ततमा टोला भोगभाग ।

अभिलेख के अनुसार राशि निकासी की विवरणी

तिथि	चेक संख्या	राशि
19.05.2013	07946	7500.00
23.05.2013	07947	150500.00
कुल योग		158000.00

अभिलेख आधा अधूरा रहने एवं अभिलेख के साथ मापी पुस्त संलग्न नहीं रहने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि योजना का कार्य निकासी की गयी राशि के अनुरूप हुआ है या नहीं ।

2(2) योजना संख्या 03/2013–14 चहटपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 11 में फारूक घर से हासीम के घर होते हुए जाहीद के घर तक पक्का नाला का निर्माण :– प्राक्कलित राशि 161000.00 अभिलेख के अनुसार कुल निर्गत अग्रिम की राशि 157500.00। अभिकर्त्ता– ईमेन सोरेन पंचायत सचिव, ।

तिथि	चेक संख्या	राशि
26.12.2012	07943	7500.00
26.12.2012	07944	107500.00
11.01.2013	07945	50000.00
कुल योग		165000.00

अभिलेख आधा अधूरा रहने एवं अभिलेख के साथ मापी पुस्त संलग्न नहीं रहने के कारण यह स्पष्ट नहीं पाया कि योजना का कार्य निकासी की गयी राशि के अनुरूप हुआ है या नहीं ।

3. चतुर्थ वित्त आयोग (अन्य विकास)

3(1) योजना संख्या 01/2012–13 चहटपुर पंचायत के विभिन्न स्थानों पर चापाकल का गड़ाई कार्य :– प्राक्कलित राशि 68000.00 रूपये । अभिकर्त्ता का नाम सुनील कुमार भगत, लक्ष्मी हार्डवेयर मेन रोड पलासी ।

अभिलेख के आदेश फलक के कमांक 04 पर अभिकर्त्ता को 68000.00 रूपये का चेक निर्गत करने का आदेश अंकित किया गया है। आदेश फलक में चेक संख्या एवं तिथि अंकित नहीं किया गया है। किन-किन स्थलों पर चापाकल गड़ाई किया गया है, उनकी सूची अभिलेख के साथ संलग्न नहीं है और न ही कार्य स्थल का विवरण अभिलेख में अंकित पाय गया, जिस कारण कार्य का भौतिक जॉच नहीं किया जा सका।

अभिलेख में लक्ष्मी हार्डवेयर, मेन रोड पलासी से संबंधित कैशमेमो संख्या 201 एव कोटेशन संख्या 202 संलग्न पाया गया । उक्त खाली कैशमेमो एवं कोटेशन में मेसर्स लक्ष्मी हार्डवेयर, मेल रोड पलासी के वास्ते एस0के0 भगत हसताक्षरित है। कोटेशन एवं कैशमेमो में चापाकल कय से संबंधित कोई विवरण अंकित नहीं है।

3 (2) योजना संख्या 01/2013–14 योजना का नामः पेयजल – अभिलेख के अनुसार चापाकल गड़ाई हेतु यह योजना ली गयी है। अभिलेख के संपूर्ण आदेश फलक में सिर्फ पंचायत सचिव का हस्ताक्षर है, मुखिया का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अभिलेख में निम्न प्रतिष्ठानों से कोटेशन प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है एवं कोटेशन अभिलेख में संलग्न पाया गया ।

1. मेसर्स विकास इन्टर प्राईजेज, अररिया राशिः– 7350.00 प्रति यूनिट
2. साहा ट्रेडर्स हॉस्पीटल, अररिया राशि – 7885.00 प्रति यूनिट
3. गायत्री ट्रेडर्स, बस स्टैण्ड, अररिया राशि – 7757.00 प्रति यूनिट

न्यूनतम कोटेशन राशि वाले प्रतिष्ठान मेसर्स विकास इन्टर प्राईजेज, अररिया को 10 ईकाई कार्य के लिए मो0 73500.00 रूपये चेक संख्या 07984 के द्वारा भुगतान दिया गया है। भुगतान अभिश्रव के अनुसार योजना के अभिकर्त्ता श्री ओंकार नाथ ठाकुर, रहिका टोला वार्ड संख्या 17 वास्ते मेसर्स विकास इन्टर प्राईजेज, अररिया को चेक निर्गत किया गया है। अभिलेख में चापाकल गडाई के स्थलों की सूची संलग्न नहीं रहने एवं अभिलेख में कार्य स्थल की विवरणी का उल्लेख नहीं रहने के कारण कार्य के भौतिक स्थिति की जॉच नहीं की जा सकी ।

3 (3) योजना संख्या 02/2013–14 योजना का नाम : पेयजल – अभिलेख के अनुसार चापाकल गड़ाई हेतु यह योजना ली गयी है। अभिलेख तत्कालिन पंचायत सचिव, श्री इमेन सोरेन तथा वर्तमान मुखिया श्रीमति शमशा खातुन के द्वारा हस्ताक्षरित है। अभिलेख में निम्न प्रतिष्ठानों का कोटेशन अंकित हैः–

1. मेसर्स विकास इन्टर प्राईजेज, अररिया राशिः– 7350.00 प्रति यूनिट
2. साहा ट्रेडर्स हॉस्पीटल, अररिया राशि – 7885.00 प्रति यूनिट
3. गायत्री ट्रेडर्स, बस स्टैण्ड, अररिया राशि – 7757.00 प्रति यूनिट

न्यूनतम मूल्य वाले प्रतिष्ठान मेसर्स विकास इन्टर प्राईजेज, अररिया को 10 ईकाई कार्य के लिए मो0 73500.00 रूपये चेक चेक संख्या 07983 के द्वारा भुगतान दिया गया है। भुगतान अभिश्रव के अनुसार योजना के अभिकर्त्ता श्री ओंकार नाथ ठाकुर, रहिका टोला वार्ड संख्या 17 वास्ते मेसर्स विकास इन्टर प्राईजेज, अररिया को चेक निर्गत किया गया है। अभिलेख में चापाकल गड़ाई के स्थलों की सूची संलग्न नहीं रहने के कारण कराये गए कार्य की जॉच नहीं की जा सकी ।

चतुर्थ वित्त आयोग (सर्वोच्च प्राथमिकता) – योजना पंजी की जॉच की गयी । पंचायत सचिव के द्वारा उपलब्ध कराये गए योजना पंजी के अनुसार निम्न योजनाएँ ली गयी है :–

4(1) 01/2012–13 लेखा संधारण :– अभिकर्त्ता श्री इमेन सोरेन पंचायत सचिव, । प्राक्कलित राशि 195955.00 । चेक संख्या 007961 के द्वारा के द्वारा 195500.00 रूपये की निकासी दर्ज है। पंजी में कराये गए कार्य का विवरण अंकित नहीं है । अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह पता नहीं चल पाया गया कि कराये गए कार्य का पता नहीं पाया ।

4(2) योजना संख्या 01/2013–14 लेखा संधारण – अभिकर्त्ता का नाम ओमकार नाथ ठाकुर, अररिया । प्राक्कलित राशि 88410.00 । चेक संख्या 07963 के द्वारा 7500.00 एवं चेक संख्या 007965 के द्वारा 80910.00 रूपये कुल 88410.00 रूपये की निकासी दर्ज है। पंजी में कराये गए कार्य का विवरण अंकित नहीं पाया गया । अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह पता नहीं चल पाया गया कि कराये गए कार्य का पता नहीं पाया ।

4(3) योजना संख्या 02/2013–'14 लेखा संधारण – प्राक्कलित राशि 116590.00 । अभिकर्त्ता ओमकार नाथ ठाकुर, अररिया । चेक संख्या 009964 के द्वारा 7500.00 रूपये एवं चेक संख्या 007967 के द्वारा 109090.00 रूपये कुल 116590.00 रूपये की निकासी दर्ज है। पंजी में कराये गए कार्य का विवरण अंकित नहीं पाया गया । अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह पता नहीं चल पाया गया कि कराये गए कार्य का पता नहीं पाया ।

4(4) योजना संख्या 03/2013–14 लेखा संधारण – प्राक्कलित राशि 120800.00 । अभिकर्त्ता ईमेन सोरेन पंचायत सचिव । चेक संख्या 007968 के द्वारा 7500.00, चेक संख्या 007962 के द्वारा 90000.00 एवं चेक संख्या 007971 के द्वारा 5000.00 कुल 102500.00 की निकासी दर्ज किया गया पाया गया । अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह पता नहीं चल पाया गया कि कराये गए कार्य का पता नहीं पाया ।

4(5) चतुर्थ वित्त आयोग (सर्वोच्च प्राथमिकता) मद का अन्य दो अभिलेख पंचायत सचिव के द्वारा उपलब्ध कराया गया । उपलब्ध कराये गए दोनों अभिलेखों में न तो योजना संख्या और न ही योजना का नाम अंकित है। अभिलेख के आदेश संख्या 01 में वर्णित तथ्य से प्रतीत होता है कि सामनों के कय के लिए यह दोनों अभिलेख खोला गया था । दोनों अभिलेखों में दर्ज प्राक्कलित राशि का कोई भी अभिलेख योजना पंजी में दर्ज नहीं पाया गया ।

एक अभिलेख में प्राक्कलित राशि 97500.00 रूपये अंकित किया गया है एवं सामानों का कय हेतु निम्न तीन प्रतिष्ठानों का कोटेशन अभिलेख में संलग्न है पाया गया –

1. मेसर्स विकास इण्टर प्राईजेज, अररिया कोटेशन की राशि 97500.00,
2. मेसर्स राज इण्टर प्राईजेज, लाईन बाजार पूर्णियाँ कोटेशन की राशि 100500.00
3. मेसर्स जे0के0 इण्टर प्राईजेज, अररिया 101500.00 का कोटेशन अभिलेख में संलग्न है ।

अभिलेख में चेक निर्गत करने संबंधी आदेश में मुखिया एवं पंचायत सचिव का हस्ताक्षर अंकित नहीं पाया गया। न्युनतम मूल्य के कोटेशन वाले एजेंसी मेसर्स विकास इण्टर प्राईजेज, अररिया को चेक निर्गत किया गया है परंतु, चेकप्राप्त कर्त्ता मे तत्कालीन पंचायत सचिव श्री इमेन सोरेन का हस्ताक्षर अंकित है।

दूसरे अभिलेख में प्राक्कलित राशि 99500.00 अंकित पाया गया । आदेश संख्या 01 के अनुसार सामानों के कय हेतु यह अभलेख खोला गया । निम्न तीन प्रतिष्ठानों का कोटेशन अभिलेख में संलग्न पाया गया –

1 मेसर्स विकास इण्टर प्राईजेज, अररिया कोटेशन की राशि 99500.00

2/

2. मेसर्स राज इण्टर प्राईजेज, लाईन बाजार पूर्णियॉ कोटेशन की राशि 103500.00
3. मेसर्स जे0के0 इण्टर प्राईजेज, रहिकपुर टोला वार्ड संख्या 02 अररिया कोटेशन की राशि 105500.00

न्युनतम कोटेशन वाले प्रतिष्ठान मेसर्स विकास इण्टर प्राईजेज, अररिया, श्री ओमकार नाथ को 7500.00 एवं 92000.00 रूपये को दो चेक हस्तगत कराने संबंधी अभिश्रव अभिलेख में संलग्न पाया गया, परन्तु अभिश्रव में चेक संख्या एवं तिथि अंकित नहीं किया गया है।

5. चतुर्थ वित्त आयोग (उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र) :– इस मद ली गयी निम्न योजनाओं का अभिलेख उपलब्ध कराया गया :–

5.(1)योजना का नाम : पेयजल – अभिलेख में अभिलेख संख्या अंकित नहीं पाया गया । अभिलेख के अनुसार चापाकल गड़ाई हेतु यह योजना ली गयी है। आदेश फलक में श्री ईमेन सोरेन तत्कालिन पंचायत सचिव एवं श्रीमति समसा खातुन वर्तमान मुखिया का हस्ताक्षर अंकित है। निम्न प्रतिष्ठानों से कोटेशन प्राप्त होने का उल्लेख अभिलेख में किया गया है तथा कोटेशन अभिलेख में संलग्न पाया गया ।

1. मेसर्स विकास इन्टर प्राईजेज, अररिया राशि:– 7350.00 प्रति यूनिट
2. साहा ट्रेडर्स हॉस्पीटल, अररिया राशि – 7885.00 प्रति यूनिट
3. गायत्री ट्रेडर्स, बस स्टैण्ड, अररिया राशि – 7757.00 प्रति यूनिट

न्यूनतम मूल्य वाले प्रतिष्ठान मेसर्स विकास इन्टर प्राईजेज, अररिया को 6 ईकाई कार्य के लिए मो0 42303 .00 रूपये चेक संख्या 007948 के द्वारा भुगतान दिया गया है। भुगतान अभिश्रव के अनुसार योजना के अभिकर्त्ता श्री ओंकार नाथ ठाकुर, रहिका टोला वार्ड संख्या 17 वास्ते मेसर्स विकास इन्टर प्राईजेज, अररिया को चेक निर्गत किया गया है। अभिलेख में चापाकल गड़ाई के स्थलों की सूची संलग्न नहीं पाया गया और नहीं कार्य स्थल का विवरण अभिलेख में किया गया है ।

5.(2)योजना का नाम : पेयजल – अभिलेख में अभिलेख संख्या अंकित नहीं पाया गया । अभिलेख के अनुसार चापाकल गड़ाई हेतु यह योजना ली गयी है। आदेश फलक एवं अभिश्रव पर मात्र श्रीमति समसा खातुन वर्तमान मुखिया का हस्ताक्षर अंकित है। अभि अभिलेख में निम्न प्रतिष्ठानों का कोटेशन अंकित है:–

1. मेसर्स विकास इन्टर प्राईजेज, अररिया राशि:– 7350.00 प्रति यूनिट
2. साहा ट्रेडर्स हॉस्पीटल, अररिया राशि – 7885.00 प्रति यूनिट
3. गायत्री ट्रेडर्स, बस स्टैण्ड, अररिया राशि – 7757.00 प्रति यूनिट

न्यूनतम मूल्य वाले प्रतिष्ठान मेसर्स विकास इन्टर प्राईजेज, अररिया को 6 ईकाई कार्य के लिए मो0 42122.00 रूपये चेक संख्या 00007941 के द्वारा भुगतान दिया गया है। भुगतान अभिश्रव के अनुसार योजना के अभिकर्त्ता श्री ओंकार नाथ ठाकुर, रहिका टोला वार्ड संख्या 17 वास्ते मेसर्स विकास इन्टर प्राईजेज, अररिया को चेक निर्गत किया गया है। अभिलेख में चापाकल गड़ाई के स्थलों की सूची संलग्न नहीं पाया गया और न ही कार्य स्थल का विवरण अभिलेख में किया गया है।

रोकड़ बही : निम्न रोकड़ बहियॉ प्रस्तुत किया गया ।

5(1) 13वीं वित्त आयोग योजना:– रोकड़ बही दिनांक 15.05.2014 के बाद संधारित नहीं किया गया है।

5 (2) बी0आर0जी0एफ0 – रोकड़ बही 05.05.2014 के बाद संधारित नहीं किया गया है।

O/c

जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक 25 /सी0, अररिया दिनांक 6.1.15

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पलासी/अंचल अधिकारी, पलासी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्रीमती समसा खातुन, मुखिया, ग्राम पंचायत चहटपुर/श्री श्याम नारायण ठाकुर, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत चहटपुर, प्रखंड–पलासी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

O/C

5/1/15

जिला पदाधिकारी,
अररिया